न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 16 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 23.08.2022

श्योजीराम पुत्र कानाराम जाति माली निवासी ग्राम हुकमपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....अपीलांट

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार नगरफोर्ट दिनांक 27.07.2022
पत्रावली संख्या 56 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः 10/3/25

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 0.72 हैक्टेयर बारानी–2 व खसरा नम्बर 296 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम हुकमपुरा तहसील नगरफोर्ट पर संवत् 2079 फसल खरीफ में चरी, पक्का मकान, डोल लगाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 4.60 रूपये का 50 गुणा जुर्माना कुल 230 रूपये आयद करने तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार नगरफोर्ट के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार नगरफोर्ट का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नही करवायी और बिना तामील के अपीलान्ट को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ तहसीलदार ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया और बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय पारित करने मे गलती की है। अधीनस्थ तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया, तहसीलदार द्वारा पटवारी हलका की रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलान्ट को दण्डित करने में भूल की है। उपरोक्त भूमि सिवायचक अथवा चरागाह भूमि नहीं है। उक्त भूमि की किस्म बारानी है। अपीलांट का उक्त भूमि में गत 40 वर्षों से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट के पास उक्त भूमि में बने हुए मकान के अलावा अन्य कोई मकान भी नहीं है। उक्त भूमि में अपीलांट का पुराना कब्जा होने व मकान बना होने से यह भूमि अपीलान्ट को नियमन योग्य भूमि है।

अभिभाषक ने कथन किया कि गामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक एफ–4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1469 जयपुर दिनाक 30.11.2017 के द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश पारित किये गये है कि परिपत्र के अनुसार ऐसी भूमि पर बसे मकानों का जहां व्यक्ति दिनांक 01.01.2017 से पूर्व 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से मकान बना कर रह रहे हैं, उनका संयुक्त सर्वे किया जावेगा तथा 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आई डी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली/पानी/ टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज जिस पर मकान का पता वर्णित हो सलंग्न करवाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया जावें। अपीलान्ट का उक्त भूमि में बने हुए मकान के पते पर ही अपीलान्ट का आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन, वोटर आई डी, भामाशाह कार्ड बने हुए है। उसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नगरफोर्ट ने अपीलान्ट को उक्त मकान से बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है वह राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

योग्य अधीनस्थ तहसीलदार नगरफोर्ट ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को तीन सजायें क्रमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाये एक साथ दिये जाने का प्रावधान नही है। इस प्रकार अधिनस्थ तहसीलदार का निर्णय अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट का निर्णय दिनांक 27.07.2022 को निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक ने अपने कथन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

की पुष्टि में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.11.2017 की प्रति पेश की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 293 रकबा 0.72 हैक्टेयर बारानी–2 व खसरा नम्बर 296 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम हुकमपुरा तहसील नगरफोर्ट लगानी रूपये 4.60 में संवत् 2079 फसल खरीफ में चरी, पक्का मकान, डोल लगाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट ने पुनः भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। उक्त अतिक्रमी के विरूद्ध लगातार सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतें आ रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि सिवायचक अथवा चरागाह भूमि नहीं है। उक्त भूमि की किस्म बारानी है। अपीलांट का उक्त भूमि पर गत 40 वर्षों से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। पत्रावली में संलग्न सरपंच ग्राम पंचायत बोसरिया पंचायत समिति उनियारा के पत्र दिनांक 09.05.2022 से यह सिद्ध है। उक्त भूमि में अपीलांट का पुराना कब्जा होने व मकान बना होने से यह भूमि अपीलान्ट को नियमन योग्य भूमि है। हमने अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4 (78)सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1469 जयपुर दिनाक 30.11.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश पारित किये गये है कि परिपत्र के अनुसार ऐसी भूमि पर बसे मकानों का जहां व्यक्ति दिनांक 01.01.2017 से पूर्व 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से मकान बना कर रह रहे हैं, उनका संयुक्त सर्वे किया जावेगा तथा 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से रहने के प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, वोटर आई डी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली/पानी/ टेलीफोन बिल में से कोई एक दस्तावेज जिस पर मकान का पता वर्णित हो सलंग्न करवाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया जावें। तहसीलदार द्वारा उक्त परिपत्र में दिए निर्देशों की पालना नहीं करते हुए उक्त आदेश पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 27.07.2022 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नगरफोर्ट को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/परा/2017/1469 जयपुर दिनाक 30.11.2017 में दिए निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए नियमानुसार पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समरथन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक